न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर०ए०एस०)

वाद सं0 : 579 सन 2021

अनवान :–

1. जयप्रकाश पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरू जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. भागमल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी बडबिराना नोहर (मृतक)
   1/1. भूपसिह पुत्र भागमल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   1/2. रामनिवास पुत्र स्व धर्मपाल पुत्र भागमल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   1/3 सत्यवीर सिह पुत्र स्व धर्मपाल पुत्र भागमल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
   1/4 नाथीदेवी पत्नी धर्मपाल पुत्र भागमल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
4. रामकुमार पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

6. धाई पुत्री गंगाजल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
7. धापी पुत्री गंगाजल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
8. मदनदेवी पुत्री गंगाजल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
9. इन्द्रा पुत्री गंगाजल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
10. जयवीर पुत्र स्व सुरेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. दिलवारसिह पुत्र स्व सुरेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. ममता पुत्री स्व सुरेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. निर्मला पुत्री स्व सुरेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. जगदीश पुत्र शंकरलाल पुत्र भूरू जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
15. गुडडी पुत्री शंकरलाल पुत्र भूरू जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
16. धापी पुत्री शंकरलाल पुत्र भूरू जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
17. देवीलाल पुत्र शंकरलाल पुत्र भूरू जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
18. श्योकरण पुत्र सोहना जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
19. परमानन्द पुत्र हरिसिह पुत्र सोहना जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
20. भजनलाल पुत्र हरिसिह पुत्र सोहना जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
21. अनिल कुमार पुत्र दीपाराम पुत्र सोहना जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. राकेश कुमार पत्र भोपत जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
23. बलवान पुत्र भोपत जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

[illegible] करार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88
[illegible] अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता [illegible]
श्री विजय[illegible]ह कडवासरा अधि. [illegible] संख्या 1 ता 4
पेरोकार राज

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

निर्णय दिनांक :– 07/10/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 115 की 75 बीधा 18 बिश्वा , खसरा न0 593/336 की 24.02 बीधा कुल 100 बीधा एव खसरा न0 34 की 23.03 बीधा , खसरा न0 293 की 47.15 बीधा , खसरा न0 594/336 की 03.16 बीधा कुल 74.08 बीधा भूमि स्थित थी जिसके मोमनराम पुत्र बस्ती जाति जाट निवासी बडबिराना खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 10/337 के खसरा न0 34 की 23.03 बीधा खसरा न0 293 की 47.15 बीधा , खसरा न0 594 की 3.10 बीधा कुल 74.08 बीधा भूमि मोमनराम पुत्र बस्ती जाति जाट के नाम दर्ज थी।

मोमनराम पुत्र बस्ती जाति जाट फोत हो चुके थे उसके बाद उक्त कृषि भूमि उनके सभी वारिसान हिरा , सोहन , गंगाजल, श्रीकिशन , हरदेवा ,भूराराम , नेकीराम पि0 मोमनराम जाति जाट साकिन बडबिराना के नाम दर्ज हो गई थी

रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 115 की 75.18 बीधा , खसरा न0 593/336 की 24.02 बीधा कुल 100 बीधा भूमि जिसके मोमन पुत्र बस्ती के नाम दर्ज थी एव मोमन पुत्र बस्तीराम के जो फोत हो चुके है एव उनके वारिसान विधिक उतराधिकारी थे।

रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 115 की 75.018 बीधा , खसरा न0 593/336 की 24.02 बीधा , खाम भूमि थी एवं साबिका खसरा न0 115 की 75.18 खसरा न0 593/336 की 24.02 बीधा भूमि गत भू प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल खसरा न0 299 की 15.10 बीधा खसरा न0 377 की 39.05बीधा , खसरा न0 55 की 15.00 कुल 69.15 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई थी ।

गंगाजल श्रीकृष्ण भूराराम, हरदेवा, हिरा , सोहना , नेकीराम फोत हो चुके है जिसमें से श्रीकृष्ण एव नेकीराम लावल्द फोत हो चुके ळे तथा हीरा उनके दो लडके भागमल व तुलछा हुए जिसमें से तुलछाराम फोत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 है तथा गंगाजल के वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 6 ,7 है तथा हरदेवा के वारिसान प्रतिवादी संख्या 8 ,9 है तथा हरदेवा के एक लडका सुरेश फोत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 10 ता 13 एव भूरू के दो लडके लक्ष्मीनारायण एव शंकरलाल हुए जिसमें से शंकरलाल फोत हो चुका है जिसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 है एव सोहन के चार लडके हुए जिसमें से एक श्योकरण मौजुद है तथा तीन लडके भोपत , दीपाराम , हरिसिह फौत हो चुके है एव हरिसिह के वारिसान प्रतिवादी संख्या 19 ,20 तथा दीपाराम के वारिसान प्रतिवादी संख्या 21 है भोपत के वारिसान प्रतिवादी संख्या 22 ,23 है भोपत के दो लडके लिलाधर व महावीर लावल्द फोत हो चुके है इसप्रकार वर्तमान में मोमन के विधिक वारसान है जो वाद भूमि के उतराधिकारी है।

रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 115 की 55.00 बीधा , खसरा न0 298 की 15. 10 बीधा , खसरा न0 377 की 38.05 बीधा कुल 68.15 बीधा भूमि मोमनराम पुत्र बस्तीराम की खातेदारी भूमि थी परन्तु उपरोक्त भूमि हिरा पुत्र मोमन जाति जाट ने अकेले ने अपने नाम दर्ज करवा ली तथा वादग्रस्त भूमि में उनके सा पुत्रगणों के नाम दर्ज थी परन्तु हीराराम पुत्र मोमन ने अकेले के नाम दर्ज करवाली वर्तमान में वाद भूमि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 276/254 के खसरा न0 299/1 की 1.5980हैक खसरा न0 299/3 की 2.06900हैक खसरा न0 377/1 की 8.1070हैक , खसरा न0 377/3 की 1. 0990हैक खसरा न0 55/1 [illegible] न0 55/3 की 0.0400हैक गै0मु0आबादी , खसरा न0 55/4 की 1.0430हैक , कुल [illegible] भूमि भागमल पुत्र हीराराम 1/2 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता [illegible] हो चुकी है।

रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 276/254 की 16.2120हैक भूमि पूर्व में वादीगण के दादा मोमन पुत्र बस्तीराम के नाम दर्ज तथा उपरोक्त भूमि को राजस्व कर्मचारीयों की मिलीभगत कर साजबाज कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता एवं दादा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

मोमन ने अकेले नाम दर्ज करवा ली थी तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 23 का भी हक हिस्सा है वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 23 जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर वादग्रस्त भूमि में अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वाद भूमि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 276/254 की कुल 16.2120हैक्‍ भूमि में वादी संख्या 1 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बहिब 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 2 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है।

वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज रहने से वादीगण व तरतीब प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होती है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम दर्ज रहने के कारण कभी भी रहन बेय कर सकते है जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारों को हनन होगा इसलिये वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी है

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वाद भूमि में वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 23 का भी हक हिस्सा है जिनके हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे को कुछ दिनों तक आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 276/254 की कुल 16.2120हैक्‍ भूमि में वादी संख्या 1 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बहिब 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 2 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित फरमावे।

वादीगण का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 6 ता 23 तरतीबी प्रतिवाादी होने के कारण एव वादीगण के अनुतोष में तरतीबी प्रतिवादीगण का अनुतोष शामिल होने के कारण तर्क किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की

वादभूमि स्व हीराराम पुत्र मोमनराम की नोतोड करदा कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागु हुआ था उस समय हीराराम प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का पिता व दादा काबिज खातेदार काश्तकार था तथा नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की समस्त शरायतों की पालना करता हुआ खातेदार काश्तकार हुआ था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(43) में टिनेन्ट की परिभाषा को स्व हीराराम पुरी करते हुए उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुका था तथा उसके फोत होने पर उसके वारिसान उतरादाता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 नियमानुसार विरास्तन से खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा उक्त भूमि से ना तो वादीगण के दादा मोमनराम व ना ही वादीगण के पिता हरदेवाराम , भूरूराम व ना ही उसके पिता के अन्य भाईयों तथा ना ही वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 213 का वादग्रस्त भूमि में कोई कब्जा रहा है ना ही कोई सरोकार है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि में किसी प्रकार के हकों की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है

वादग्रस्त भूमि पिछले 70 सालो स[illegible] हीराराम पुत्र मोमनराम तथा उसके फोत होने पर उसके लडके भागम[illegible] रही थी तथा तुलछाराम के फोत होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी [illegible] ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 भागमल के कब्जा काश्त में चली आ रही है अब वादीगण [illegible]सरी चौथी पीढी में आकर दावा पेश किया है जबकि ना तो मोमनराम पुत्र बस्तीराम व ना ही हरदेवाराम , भूरूराम व ना ही इनके भाईयो ने अपने जीवनकाल में कोई वाद प्रस्तुत नही किया इससे साबित है कि उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिराराम व उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अलावा अन्य कोई हक व हिस्सा नही है तथा इतने पुराने व लगातार चले आ रहे राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के साथ वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को कोई हिस्सा दर्ज करवाने का कोई भी आधार नही हे वादीगण को वाद लाने का भी कोई कॉज ऑफ एक्शन हासिल नही है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है।

वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वादग्रस्त भूमि पर 70 सालों से पहले प्रतिवादीगण के पिता व दादा हीराराम व अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को खातेदार काश्तकार व उनके कब्जा काश्त को स्वीकार करते आ रहे है जबकि किसी कब्जा प्राप्त करने की मियाद 12 वर्ष होती हे तो समाप्त हो चुकी है अब वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने की कोई उपरचार उपलब्ध नही है तथा वाद वादीगण अन्दर मियाद भी नही है कब्जा व मियाद के आधार पर ही वाद वादीगण खारिज योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 लागू होने के दिन अर्थात 15.10.1955 को हीराराम वल्द मोमनराम खातेदार काश्तकार काबिज था तथा नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अनुसार खातेदार काश्तकार हो चुका था उसके पश्चात सम्वत 2020 भूप्रबन्ध विभाग द्वारा मौका पैमाईश की जाकर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त हीराराम प्रतिवादीगण के पिता व दादा का था तथा मौक्का पर भूप्रबन्ध अधिकारीयों ने पर्चा प्रमाणांकन व पर्चा लगान मौके पर काबिज खातेदार काश्तकार हीराराम के नाम से जारी हुए उस समय वादीगण के दादा मोमनराम पुत्र बस्ती व वादीगण के पिता हीराराम व भूरूराम व उसके भाईया ने कोई उत्तर व ऐतराज पेश नही किया गया तथा अब इतने लम्बे समय के बाद वादीगण दावा के माध्यम से किसी प्रकार की धोषणा करवाने के अधिकारी नही है।

जागीरदारी प्रथा सम्वत 2010 में रिज्यूम की गई थी तथा जागीरदार से भूमि ली जाकर राजय सरकार में निहित हो गई थी तथा जागीरदार के समय भूमि चार साला व एक साला काश्त के लिए जागीरदार रकम के बदले में भूमि देने तथा जो व्यक्ति लगान व रकम जमा करवाने में असमर्थ रहता तो भूमि किसी अन्य काश्तकार को दे दी जाती थी तथा वदीग्रस्त भूमि हीराराम पुत्र मोमनराम ने जागीरदार से रकम के बदले में काश्त पर ली गई थी जागीरदारी खत्म होने के समय वाद भूमि पर हीराराम वल्द मोमनराम के कब्जे में थी तथा राजस्थान काश्तकार अधिनियम सन 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ जिसके प्रावधानो के अनुसार जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में चली आ रही थी वह स्वत ही उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो गया था जिसे राजस्व रिकार्ड में उस भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया था इसलिये वाद भूमि हिराराम वल्द मोमनराम के कब्जा कब्जा में होने के कारण वाद भूमि का खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था जो लगातार कब्जा काश्त में रही थी हीराराम वल्द मोमनराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 ता 23 एव वादीगण को कोई हक हिस्सा नही है ना ही पाने के अधिकारी है

वादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सम्वत 2008 से आज तक व गिरदावरी व ढाल बाढ व रकम व लगान समस्त प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता दादा हीराराम पुत्र मोमनराम के नाम दर्ज है वादीगण का वाद लाने को कोई वाद कारण व वाद हैतुक हासिल नही है तथा वाद वादीगण विधि द्वारा वर्जित है चलने योग्य नही हैं तथा वादीगण न्यायालय में क्लीन हैण्ड से नही आया है लालचवंश वाद पेश किया गया है अतः जबाब दावा पेश कर निवेदन है वाद वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का जबाब दावा शामिल मिसल किया जाकर वाद के वाद एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकीयात कायम की गई ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

1. आया वाके रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 276/254 की कुल 16.2120हैक्ट भूमि में वादी संख्या 1 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बहिब 1/5 हिस्सा एव वादी संख्या 2 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्य 6 ,7 बहिब 1/5 हिस्सा , एव प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 बहिब 1/5 हिस्सा , एव प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार जमाबन्दी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।? **वादीगण संख्या 1 ,2**
2. आया वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 276/254 की 12.2120हैक्ट भूमि को रहन बेय व मुन्तकिल करने से निषिद्व रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे । **वादीगण संख्या 1 ,2**
3. आया वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी सख्या 6 ता 23 वादग्रस्त भूमि के किसी भी श्रेणी के टिनेन्ट नही है तथा वाद वादीगण मेन्टेबल इसका वाद पर क्या असर है ? प्रतिवादी संख्याा 1 ता 4
4. आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 23 का कभी कब्जा नही तथा कब्जा के अभाव में वाद इस्तकरार हक व स्थाई निषेधााा संधारण योग्य नही है इसका वाद पर क्या असर है।? प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
5. आया वादीगण ने यह वाद हिससे की घोषणा का प्रस्तुत किया गया है जो कि संधारण योग्य नही है इसका वाद पर क्या असर है ? प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
6. आया वादीगण को दावा लाने का कोई कॉज ऑफ एक्शन अराईज नही होता हे न ही वाद हेतुक हासिल है इसका वाद पर क्या असर हे। प्रतिवादी 1 ता 4
7. आया वादीगण के खिलाफ मामला स्टोपल आरिज है प्रतिवादी संख्या 1 ता 4
8. दाररसी

वादीगण के वाद एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के जबाब दावा के आधार पर उक्तानुसार तनकी कायम की जाकर उभयपक्षों से साक्ष्य सबुत लिये गये वादीगण ने साक्ष्य वादी में वादी संख्या 2 ने मुख्य परीक्षा शपथ पत्र पेश कर दस्तावेजात प्रर्दश करवाये गये जिसे पर जिरह प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने की गई तथा अक्षदत पुत्र ब्रहमदत का शपथ पत्र पेश किया जिस पर जिरह प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने की गई और साक्ष्य नही करवाने पर साक्ष्यवादी बन्द की जाकर साक्ष्य प्रतिवादी लिये गये जिसमें राजकुमार ने शपथ पत्र मुख्य परिक्षा पेश कर दस्तावेजात प्रर्दश करवाये व वादीगण के अधिवक्ता के द्वारा जिरह की गई व झमनलाल पुत्र हरदत , मनीराम पुत्र चुन्नीराम के शपथ पत्र पेश किये जिरह वादीगण के अधिवक्ता के द्वारा की गई और साक्ष्य प्रतिवादी पेश नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की

रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 115 की 75 बीधा 18 बिश्वा , खसरा न0 593/336 की 24.02 बीधा कुल 100 बीधा एव खसरा न0 34 की 23.03 बीधा , खसरा न0 293 की 47.15 बीधा , खसरा न0 594/336 की 03.16 बीधा कुल 74.08 बीधा भूमि स्थित थी जिसके मोमनराम पुत्र बस्ती जाति जाट निवासी बडबिराना खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 10/337 के खसरा न0 34 की 23.03 बीधा खसरा न0 293 की 47.15 बीधा , खसरा न0 594 की 3.10 बीधा कुल 74.08 बीधा भूमि मोमनराम पुत्र बस्ती जाति जाट के नाम द[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

मोमनराम पुत्र बस्ती [illegible] बाद उक्त कृषि भूमि उनके सभी वारिसान हिरा , सोहन , [illegible] , हरदेवा ,भूराराम , नेकीराम पि0 मोमनराम जाति जाट साकिन बडबिराना के न[illegible] दर्ज हो गई थी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 115 की 75.18 बीधा , खसरा न0 593/336 की 24.02 बीधा कुल 100 बीधा भूमि जिसके मोमन पुत्र बस्ती के नाम दर्ज थी एव मोमन पुत्र बस्तीराम के जो फोत हो चुके है एव उनके वारिसान विधिक उतराधिकारी थे।

रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 115 की 75.018 बीधा , खसरा न0 593/336 की 24.02 बीधा , खाम भूमि थी एवं साबिका खसरा न0 115 की 75.18 खसरा न0 593/336 की 24.02 बीधा भूमि गत भू प्रबन्धक विभाग द्वारा हाल खसरा न0 299 की 15.10 बीधा खसरा न0 377 की 39.05बीधा , खसरा न0 55 की 15.00 कुल 69.15 बीधा में परिर्वतन एवं पैमुद की गई थी ।

रोही मौजा बडबिराना के खसरा न0 115 की 55.00 बीधा , खसरा न0 298 की 15. 10 बीधा , खसरा न0 377 की 38.05 बीधा कुल 68.15 बीधा भूमि मोमनराम पुत्र बस्तीराम की खातेदारी भूमि थी परन्तु उपरोक्त भूमि हिरा पुत्र मोमन जाति जाट ने अकेले ने अपने नाम दर्ज करवा ली तथा वादग्रस्त भूमि में उनके सा पुत्रगणों के नाम दर्ज थी परन्तु हीराराम पुत्र मोमन ने अकेले के नाम दर्ज करवाली वर्तमान में वाद भूमि रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 276/254 के खसरा न0 299/1 की 1.5980हैक्‍ खसरा न0 299/3 की 2.06900हैक्‍ खसरा न0 377/1 की 8.1070हैक्‍ , खसरा न0 377/3 की 1. 0990हैक्‍ खसरा न0 55/1 की 2.2560हैक्‍ खसरा न0 55/3 की 0.0400हैक्‍ गै0मु0आबादी , खसरा न0 55/4 की 1.0430हैक्‍ , कुल 16.2120हैक्‍ भूमि भागमल पुत्र हीराराम 1/2 हिस्सा , एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/2 हिस्सा दर्ज हो चुकी है।

रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 276/254 की 16.2120हैक्‍ भूमि पूर्व में वादीगण के दादा मोमन पुत्र बस्तीराम के नाम दर्ज तथा उपरोक्त भूमि को राजस्व कर्मचारीयों की मिलीभगत कर साजबाज कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पिता एवं दादा मोमन ने अकेले नाम दर्ज करवा ली थी तथा वादग्रस्त भूमि वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 23 का भी हक हिस्सा है वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 23 जमाबन्दी दुरूस्त करवाकर वादग्रस्त भूमि में अपने नाम दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

अत वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 276/254 की कुल 16.2120हैक्‍ भूमि में वादी संख्या 1 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बहिब 1/5 हिस्सा , वादी संख्या 2 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 6 ,7 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वादीगण ने अपने वाद/बहस के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी रोही मौजा बडबिराना सम्वत 2008 से 2011 , प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी रोही मौजा बडबिराना सम्वत 2008 से 2011 , प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी रोही मोजा बडबिराना सम्वत 1991 से 1994 , प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी रोही मोजा बडबिराना सम्वत 2012 ता 15 , प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी रोही मोजा बडबिराना सम्वत 1991 से 1994 , खसरा गिरदावरी सम्वत 2020 प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी रोही मोजा बडबिराना सम्वत 2029 से 2038 आदि प्रस्तुत किये गये।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की

वादभूमि स्व हीराराम पुत्र मोमनराम की नोतोड करदा कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागु हुआ था उस समय हीराराम प्रतिवादी संख्या [illegible] 4 का पिता व दादा काबिज खातेदार काश्तकार था तथा नियमानु[illegible]म की समस्त शरायतों की पालना करता हुआ खातेदार काश्तकार [illegible] राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 5(43) में टिनेन्ट की परिभाषा को स्व हीरा[illegible] पुरी करते हुए उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुका था तथा उसके फोत होने पर उसके वारिसान उतरादाता प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 नियमानुसार विरास्तन से खातेदार काश्तकार हो चुके है तथा उक्त भूमि से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ना तो वादीगण के दादा मोमनराम व ना ही वादीगण के पिता हरदेवाराम , भूरूराम व ना ही उसके पिता के अन्य भाईयों तथा ना ही वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 213 का वादग्रस्त भूमि में कोई कब्जा रहा है ना ही कोई सरोकार है वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के हक हिस्सा की भूमि में किसी प्रकार के हकों की घोषणा करवाने के अधिकारी नही है

वादग्रस्त भूमि पिछले 70 सालो से पहले हीराराम पुत्र मोमनराम तथा उसके फोत होने पर उसके लडके भागमल व तुलछाराम के कब्जा काश्त मे रही थी तथा तुलछाराम के फोत होने पर उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 व प्रतिवादी संख्या 1 भागमल के कब्जा काश्त में चली आ रही है अब वादीगण तीसरी चौथी पीढी में आकर दावा पेश किया है जबकि ना तो मोमनराम पुत्र बस्तीराम व ना ही हरदेवाराम , भूरूराम व ना ही इनके भाईयो ने अपने जीवनकाल में कोई वाद प्रस्तुत नही किया इससे साबित है कि उक्त भूमि हिराराम व उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के अलावा अन्य कोई हक व हिस्सा नही है तथा इतने पुराने व लगातार चले आ रहे राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के साथ वादीगण व तरतीबी प्रतिवादी को कोई हिस्सा दर्ज करवाने का कोई भी आधार नही हे वादीगण को वाद लाने का भी कोई कॉज ऑफ एक्शन हासिल नही है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है।

वादीगण प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को वादग्रस्त भूमि पर 70 सालों से पहले प्रतिवादीगण के पिता व दादा हीराराम व अब प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को खातेदार काश्तकार व उनके कब्जा काश्त को स्वीकार करते आ रहे है जबकि किसी कब्जा प्राप्त करने की मियाद 12 वर्ष होती हे तो समाप्त हो चुकी है अब वादीगण को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादीगण से कब्जा प्राप्त करने की कोई उपरचार उपलब्ध नही है तथा वाद वादीगण अन्दर मियाद भी नही है कब्जा व मियाद के आधार पर ही वाद वादीगण खारिज योग्य है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 लागू होने के दिन अर्थात 15.10.1955 को हीराराम वल्द मोमनराम खातेदार काश्तकार काबिज था तथा नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानो के अनुसार खातेदार काश्तकार हो चुका था उसके पश्चात सम्वत 2020 भूप्रबन्ध विभाग द्वारा मौका पैमाईश की जाकर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त हीराराम प्रतिवादीगण के पिता व दादा का था तथा मौक्का पर भूप्रबन्ध अधिकारीयों ने पर्चा प्रमाणांकन व पर्चा लगान मौके पर काबिज खातेदार काश्तकार हीराराम के नाम से जारी हुए उस समय वादीगण के दादा मोमनराम पुत्र बस्ती व वादीगण के पिता हीराराम व भूरूराम व उसके भाईया ने कोई उत्तर व ऐतराज पेश नही किया गया तथा अब इतने लम्बे समय के बाद वादीगण दावा के माध्यम से किसी प्रकार की धोषणा करवाने के अधिकारी नही है।

जागीरदारी प्रथा सम्वत 2010 में रिज्यूम की गई थी तथा जागीरदार से भूमि ली जाकर राजय सरकार में निहित हो गई थी तथा जागीरदार के समय भूमि चार साला व एक साला काश्त के लिए जागीरदार रकम के बदले में भूमि देने तथा जो व्यक्ति लगान व रकम जमा करवाने में असमर्थ रहता तो भूमि किसी अन्य काश्तकार को दे दी जाती थी तथा वदीग्रस्त भूमि हीराराम पुत्र मोमनराम ने जागीरदार से रकम के बदले में काश्त पर ली गई थी जागीरदारी खत्म होने के समय वाद भूमि पर हीराराम वल्द मोमनराम के कब्जे में थी तथा राजस्थान काश्तकार अधिनियम सन 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू हुआ जिसके प्रावधानो के अनुसार जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में चली आ रही थी वह स्वत ही उस भूमि का खातेदार काश्तकार हो [illegible] राजस्व रिकार्ड में उस भूमि का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज कि[illegible] म वल्द मोमनराम के कब्जा कब्जा में होने के कारण वाद [illegible] काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था जो लगातार कब्जा काश्त में रही थी ही[illegible] वल्द मोमनराम के देहान्त होने पर उनके वारिसान के कब्जा काश्त में चली आ रही है जिसमें प्रतिवादी संख्या 6 ता 23 एव वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

को कोई हक हिस्सा नही है ना ही पाने के अधिकारी है वाद वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने अपने जबाब दावा के समर्थन में प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2008 से 2011 रोही मोजा बडबिराना , प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी सम्वत 2008 से 2011 रोही मोजा बडबिराना , प्रमाणित खसरा गिरदावरीया चार प्रतिया प्रत्येक खसरा , नामान्तकरण रजिस्टर दो प्रतिया, पर्चा खतौनी , पास बुक , नजरी नक्शा , जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2076 खता संख्या 276/254 , जमाबन्दी सम्वत 2073 से 2076 खाता संख्या 277/255 जमबान्दी सम्वत 2073 से 76 खाता संख्या 275/253 , खसरा गिरदावरीया चार प्रतिया ,प्रमाणित जमाबन्दी सम्तव 2015 से 2019 रोही मौजा बडबिराना , मिसल बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 2038 समस्त खसरों चार प्रतिया , खसरा गिरदावरी ढाल बाछ , जमाबन्दी सम्तव 2032 से 35 आदि दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दसतावेजात /साक्ष्य सबुतों का गहणता से अध्यन किया गया तनकीवार विवेचन निन्नप्रकार से किया जाता है :-

1. **तनकी न0 1 –आया वाके रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 276/254 की कुल 16.2120हैक भूमि में वादी संख्या 1 एवं तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 ता 10 बहिब 1/5 हिस्सा एव वादी संख्या 2 एव तरतीबी प्रतिवादी संख्या 14 ता 17 बहिब 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्य 6 ,7 बहिब 1/5 हिस्सा , एव प्रतिवादी संख्या 18 ता 23 बहिब 1/5 हिस्सा , एव प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/10 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 2 ता 4 बहिब 1/10 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार जमाबन्दी दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।?**

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण का कथन है कि वाद भूमि रोही मोजा बडबिराना वादीगण के पूर्वज मोमनराम वल्द बस्तीराम के कब्जा काश्त की भूमि थीं मोमनराम वल्द बस्तीराम के देहान्त होने के बाद मोमनराम के कब्जा काश्त की भूमि मोमानराम के विधिक उतराधिकारियो के नाम दर्ज होनी चाहिये थी किन्तु हिराराम वल्द मोमनराम ने अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली जिसे अब वादीगण एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 6 ता 23 के हक हिस्सा के अनुसार दर्ज की जावे।

वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में फर्द दस्तावेजात के अनुसार दस्तावेजात पेश किये गये वादीगण के द्वारा प्रस्तुत समस्त दस्तावेजात जागीरदारी के समय के अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व के प्रस्तुत किये गये है जिसमे कुछ खसरो की भूमि में मोमनराम पुत्र बस्ती राम एवं कुछ खसरों की भूमि मे हिरा वल्द मोमन राम की काश्त अंकित है वादीगण ने वाद भूमि जो साबिका खसरा नम्बर में थी के हाल खसरा नम्बर में परिर्वतन खसरों को साबित करने के लिये मिलान क्षेत्रफल पेश नही किया गया है केवल मात्र सम्वत 2020 का सर्वे खसरा प्रस्तुत किया गया जिसमें वाद भूमि जिसका अनुतोष वादीगण के द्वारा चाहा गया है उन खसरों की भूमि पर हीरा वल्द मोमन की काश्त अकित की गई है।

वादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेजात सम्वत 2008 के बाद का पेश नही किया गया जिसमें मोमन वल्द बस्ती की काश्त दर्ज हो ना ही ऐसा कोई साक्ष्य /दस्तावेजात पेश किये जिससे यह साबित हो सके की जिन खसरो का अनुतोष चाहा जा रहा है उन साबिका खसरो की भूमि कभी कब्जा काश्त में मोमन के रही है जो वर्तमान मे हाल खसरों में परिर्वतन हुए है जिस पर भी कभी मोमन का कब्जा रहा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण स्वय के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2008 से 2011 में एक खसरा में मोमन वल्द बस्ती की काश्त दर्ज है तथा [illegible] हिरा पुत्र मोमन की काश्त है दोनो ही खसरे भिन्न है अर्थात मोमन अन्य खसरे की भूमि पर काबिज था और हिरा पुत्र मोमन अन्य खसरे की भूमि पर काबिज था अर्थात वाद भूमि मोमन वल्द बस्ती के कभी भी कब्जा काश्त मे नही रही है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की साबिका खसरा न0 115 की 75.18 बीधा , खसरा न0 593/336 की 24.02 बीधा , हाल खसरा न0 299 की 15.10 बीधा खसरा न0 377 की 39.05 बीधा खसरा न0 55 की 15 बीधा कुल 69.15 बीधा भूमि पर कभी मोमन वल्द बस्ती के कब्जा काश्त में रही हो मात्र वादीगण के द्वारा कथन किया गया है कि वाद भूमि मोमन वल्द बस्ती के कब्जा में भी मात्र कथनों के आधार पर वादीगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है

प्रतिवाादी संख्या 1 ता 4 ने रोही मौजा बडबिराना के साबिका खसरा न0 115 की 75.18 बीधा , खसरा न0 593/336 की 24.02 बीधा , हाल खसरा न0 299 की 15.10 बीधा खसरा न0 377 की 39.05 बीधा खसरा न0 55 की 15 बीधा कुल 69.15 बीधा के सम्बध में राजस्थान काश्तकार अधिनियम सन 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था के समय से लेकर वर्तमान तक की जमाबन्दीया एव गिरदावरीया प्रस्तुत की गई जिससे स्पष्ट तौर से अंकित है कि सम्वत 2008 से लेकर आज दिनांक तक पहले वाद भूमि हिरा वल्द मोमन के कब्जा काश्त में थी हिरा वल्द मोमन के देहान्त होने के बाद उसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में निर्वाघ रूप से चली आ रही है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वज हीरा वल्द मोमन सम्वत 2008 से 2011 में जागीरदार से रकम के बदले में भूमि ली गई थी जो हीरा वल्द मोमन के कब्जा काश्त में चली आ रही है सम्वत 2010 में जागीरदारी रिज्यम होने पर वाद भूमि हीरा वल्द मोमन के कब्जा काश्त में थी जो जमाबन्दी /गिरदावारी सम्वत 2008 से 2011 से पूर्णत्या प्रमाणित है तत्पश्चात राजस्थान काश्तकार अधिनियम सन 1955 दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो भूमि जिस काश्तकार के कब्जा काश्त में चली आ रही है उसे उस भूमि का खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे उक्त अधिनियम के ताबे मोमन वल्द वस्ती को बतौर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था जो पूर्व में हीरा वल्द मोमन के व हिरा के देहान्त होने के बाद उसके विधिक वारिसान के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है।

वादीगण का कथन है वाद भूमि उनके कब्जा काश्त में चली आ रही है परन्तु वादीगण ने ऐसा कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे साबित हो की वाद भूमि वादीगण या उसके पूर्वज मोमन वल्द बस्ती के वाद भूमि पर कभी कब्जा रहा हो मात्र कथन किया गया किसी प्रकार का साक्ष्य नही है इसके विपरित प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने द्वारा खसरा गिरदावारीयो प्रस्तुत की गई है तथा भू0 प्रबन्धक विभाग का कब्जा प्रमाणन प्रस्तुत किया गया जिससे पूर्णत्या साबित है कि वाद भूमि सम्वत 2008 से पहले से पहले हीरा वल्द मोमन के कब्जा काश्त में थी तत्पश्चात उसके विधिक वारिसान के कब्जा काश्त में चली है आ रही है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कब्जा पूर्णत्या से प्रमाणित होता है।

इसप्रकार उक्त विवेचन के अनुसार वाद भूमि मोमन वल्द बस्ती के कब्जा काश्त की भूमि ना होकर हीरा वल्द मोमन के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी जो लगातार पहले हीरा वल्द मोमन के कब्जा काश्त में रही व हीरा वल्द मोमन के देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है बिना किसी आधार के वादीगण किसी अन्य की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है ना ही वादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे वादीगण के वाद को कोई बल मिल सके मात्र कथनों के आधार पर वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है

अतः तनकी न0 1 वादीगण के द्वारा साबि[illegible]रने के कारण वादीगण के विरूद्व तय की जाती है तथा साक्ष्य सबुतों [illegible] 4 के पक्ष में तय की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

2. **तनकी न0 2–** आया वादी प्रतिवा[illegible]ण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा इस आश्य की जारी की जावे की रोही मौजा बडबिराना के खाता संख्या 276/254 की 12.

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2120हैक्ट भूमि को रहन बेय व मुन्तकिल करने से निषिद्व रहे एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

वादीगण संख्या 1 ,2

तनकी न 0 2 का साबित करने का भार वादीगण पर तनकी न0 1 के विवेचन किया जा चुका है कि वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्वज मोमन वल्द बस्ती के कब्जा काश्त की भूमि ना होकर मोमन वल्द बस्ती के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है ना ही वादीगण ने पास ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध है जिससे वादीगण वाद भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त कर सकते है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वर्तमान राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है जो पूर्व में उनके पूर्वज हीरा वल्द मोमन के कब्जा काश्त में थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना किसी ठोस आधार के किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता ना ही वादीगण ने ऐसा कोई ठोस कारण व्यक्त किया जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को पाबन्द किया जाना आवश्यक हो वादीगण का केवल मात्र कथन है कथनों के आधार पर वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

अतः वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि साबित होने के कारण तनकी न0 2 वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

3. तनकी न0 3 आया वादीगण एव तरतीबी प्रतिवादी सख्या 6 ता 23 वादग्रस्त भूमि के किसी भी श्रेणी के टिनेन्ट नही है तथा वाद वादीगण मेन्टेबल इसका वाद पर क्या असर है ?

प्रतिवादी संख्याा 1 ता 4

तनकी न. 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पर था प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने सम्वत 2008 से पहले से लेकर वर्तमान तक की जमाबन्दीया /गिरदावारीया प्रस्तुत की गई है व भू0 प्रबन्ध विभाग का पर्चा प्रमाणन , व अन्य दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये हे जिनसे पूर्णत्या साबित है कि वाद भूमि जिसका अनुतोष वादीगण ने चाहा है वह राजस्थान काश्तकार अधिनियम लागु होने से पूर्व से हीरा वल्द मोमन के कब्जा काश्त की भूमि है तथा राजस्स्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत हीरा वल्द मोमन को खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया था जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है।

वादीगण ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे वादीगण या उसके पूर्वज मोमन वल्द बस्ती का वाद भूमि पर कभी कब्जा रहा हो मात्र कथन किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के दस्तावेजात के अनुसार वाद भूमि हीरा वल्द मोमन के राजस्थान काश्तकारी अधिनयिम लागू होने से पूर्व से कब्जा काश्त की भूमि है।

वादीगण ने वाद केवल कथनों के अधार पर पेश किया गया है कथनों के आधार पर वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है वादी वाद भूमि का किसी भी श्रेणीं का टिनेन्ट भी साबित नही होने के कारण मेन्टेबल नही है

तनकी न.3 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में एव वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी न0 4 ता 6</u>

तनकी न0 4 आया वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 23 का कभी कब्जा नही तथा कब्जा के अभाव में वाद इस्तकरार हक व स्थाई निषेधााा संधारण योग्य नही है इसका वाद पर क्या असर है।?

तनकी न0 5 आया वादीगण ने यह वाद हिस्से की घोषणा का प्रस्तुत किया गया है जो कि संधारण योग्य नही है इसका वाद पर क्या असर है ?

तनकी न. 6 आया वादीगण क[illegible]ान का कोई कॉज ऑफ एक्शन अराईज नही होता हे न ह[illegible] वाद पर क्या असर है।

उक्त सभी तनकीयात वादी संधारण[illegible]टेबल/कॉज ऑफ एक्शन अराईज /वाद हैतुद हासिल होने के सम्बध में है जिनका वि[illegible]न एक साथ किया जा रहा है।

तनकी न.0 4 ता 6 को साबित करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 पर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वज हीरा वल्द मोमन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 लागु होने से पूर्व जागीरदारी के समय से वाद भूमि कब्जा काश्त की भूमि है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत हीरा वल्द मोमन को खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दीयों/गिरदावारीयों से पूर्णत्या साबित है तथा तनकी न9 1 में प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 4 के पूर्वज हीरा वल्द मोमन खातेदार काश्तकार होने के सम्बध मे पूर्ण विवेचन किया जा चुका है अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के साक्ष्य सबुतों के आधार पर वाद भूमि का पूर्व में हीरा वल्द मोमन कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी जिसके देहान्त होने के बाद विधिक उतराधिकारी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज चली आ रही है।

वादीगण ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था के समय से लेकर आज तक कभी भी वाद भूमि पूर्व में उनके पूर्व मोमन वल्द बस्ती या उसके वारिसान वादीगण व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 6 ता 23 के कभी कब्जा काश्त में रही हो मात्र कथन किया गया है कथनों के आधार पर वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है

वादीगण को वाद भूमि के सम्बध में कोई कॉज ऑफ एक्शन भी हासिल नही है ना ही व्यक्ति किया गया है इस कारण से वाद प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था मात्र कथन कर वाद प्रस्तुत किया गया है इसीप्रकार वादीगण के द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे वादीगण या उसके पूर्वजों का वाद भूमि पर कभी कब्जा रहा है समस्त तथ्य प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वज हीरा वल्द मोमन व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के कब्जा को प्रमाणित करता है अर्थात कब्जा काश्त भी प्रमाणित नही होती है

वादीगण कब्जा को प्रमाणित का साक्ष्य पेश करने में असमर्थ रहे ना ही कॉज ऑफ एक्शन को पूर्णत्या व्यक्त किया गया है वादीगण का वाद मात्र कथनों के आधार पर आधारित है जो संधारण योग्य या चलने योग्य नही है

अतः तनकी न0 4 ता 6 प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में एवं वादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन से पूर्णत्या साबित हो चुका है वाद भूमि वादीगण के पूर्वजों के कभी भी कब्जा काश्त में नही रही है मात्र कथनों के आधार पर वाद पेश किया गया है जबकि प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों से पूर्णत्या प्रमाणित है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 जो दिनांक 15.10.1955 को लागू किया गया था से पूर्व से ही पहल प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पूर्वज हीरा वल्द मोमन के कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि थी हीरा वल्द मोमन के देहान्त होने के बाद प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के कब्जा काश्त में निरन्तर चली आ रही है वादीगण वाद भूमि में किसी भी प्रकार का हक हिस्सा पाने के अधिकारी नही है वादीगण का कब्जा व कॉफ ऑफ एक्शन आराईज नही होने के कारण चलने योग्य भी नही है वादीगण का वाद खारिज योग्य है।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक [illegible] द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जयप्रकाश पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर ।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र भूरू जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. भागमल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी बडबिराना नोहर (मृतक)
   1/1. भूपसिह पुत्र भागमल पुत्र हीराराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   1/2. रामनिवास पुत्र स्व धर्मपाल पुत्र भागमल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
   1/3 सत्यवीर सिह पुत्र स्व धर्मपाल पुत्र भागमल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
   1/4 नाथीदेवी पत्नी धर्मपाल पुत्र भागमल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. महेन्द्र पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
3. राजेन्द्र पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
4. रामकुमार पुत्र तुलछाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

असल प्रतिवादी

6. धाई पुत्री गंगाजल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
7. धापी पुत्री गंगाजल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
8. मदनदेवी पुत्री गंगाजल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
9. इन्द्रा पुत्री गंगाजल जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
10. जयवीर पुत्र स्व सुरेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
11. दिलवारसिह पुत्र स्व सुरेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
12. ममता पुत्री स्व सुरेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
13. निर्मला पुत्री स्व सुरेश कुमार पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
14. जगदीश पुत्र शंकरलाल पुत्र भूरू जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
15. गुडडी पुत्री शंकरलाल पुत्र भूरू जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
16. धापी पुत्री शंकरलाल पुत्र भूरू जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
17. देवीलाल पुत्र शंकरलाल पुत्र भूरू जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर
18. श्योकरण पुत्र सोहना जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
19. परमानन्द पुत्र हरिसिह पुत्र सोहना जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
20. भजनलाल पुत्र हरिसिह पुत्र सोहना जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
21. अनिल कुमार पुत्र दीपाराम पुत्र सोहना जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
22. राकेश कुमार पत्र भोपत जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।
23. बलवान पुत्र भोपत जाति जाट साकिन बडबिराना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 579 सन 2021 निर्णय दिनांक–07/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता [illegible] की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य स[illegible]भाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उ[illegible]

पर्चा डिक्री आज दिनांक [illegible] को [illegible] हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.08 16:41:22 IST
Reason: SelfAttested